<u>एमआरवीसी की मेडिएशन और आर्बिट्रेशन नीति</u>

घरेलू सार्वजनिक खरीद के अनुबंधों में मेडिएशन और आर्बिट्रेशन के लिए एफ.1/2/2024-पीपीडी दिनांक 03.06.2024 के तहत वित्त मंत्रालय से दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं।

इस संबंध में उपरोक्त सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के लिए 22-10-2024 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएमडी, सभी निदेशकों और संबंधित विभागाध्यक्षों ने भाग लिया।

एमआरवीसी में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को अपनाए जाने का प्रस्ताव है:-

ए. बैंक द्वारा वित्तपोषित निविदाओं के लिए, आर्बिट्रेशन और रिकॉन्सिलिएशन खंड वित्तपोषण एजेंसी के नीतिगत दिशानिर्देशों द्वारा शासित होंगे।

बी. गैर-बैंक वित्त पोषित (यानी समकक्ष वित्त पोषित) निविदाओं के लिए प्रक्रियाएं निम्नलिखित के अनुसार होंगी:

1. मध्यस्थता खंड को नीचे उल्लिखित मूल्य के अनुसार निविदा दस्तावेज में शामिल किया जाएगा:

क्र.सं.	निविदा मूल्य (जीएसटी सहित एनआईटी मूल्य)	आर्बिट्रेशन खंड
1	INR 50 लाख से कम मूल्य वाले कार्यों के लिए	शामिल नहीं किया जाना है।
2	INR 50 लाख से अधिक मूल्य वाले कार्यों के लिए	शामिल किया जाना है।

2 एक नियम के रूप में, आर्बिट्रेशन (यदि अनुबंधों में शामिल है) INR 10 करोड़ से कम मूल्य वाले विवादों तक सीमित हो सकती है। यह आंकड़ा विवाद के मूल्य के संदर्भ में है (अनुबंध का मूल्य नहीं, जो बहुत अधिक हो सकता है).बिड कन्डिशन/कान्ट्रैक्ट कन्डिशन में यह विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि अन्य सभी मामलों में संविदा में विवाद समाधान का तरीका आर्बिट्रेशन नहीं होगा।

तदनुसार, एसबीडी में एक खंड जोड़ा जाएगा।

"जब भी विवाद/दावों (प्रतिदावों सहित) का मूल्य 10 करोड़ रुपये से कम होता है तो आर्बिट्रेशन और रिकॉन्सिलिएशन अधिनियम के अनुसार आर्बिट्रेशन स्वीकार्य होती है। जब भी विवाद/दावों

(प्रतिदावों सहित) का मूल्य 10 करोड़ रुपये से अधिक होता है तो आर्बिट्रेशन स्वीकार्य नहीं होगी।

आर्बिट्रेशन की नियुक्ति निम्नानुसार होगी (संदर्भ: माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.11.2024 मध्यस्थों की एकतरफा नियुक्ति पर CORE VS ECI SPIC SMO MCML (JV) में उच्चतम न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की पीठ)

(ए) संविदाकार को एमआरवीसी के आर्बिट्रेटर के मौजूदा पैनल में से या बाहर से अपनी पसंद के संभावित विवाचक में से किसी आर्बिट्रेटर को चुनने का विकल्प दिया जाएगा।

(बी) एमआरवीसी, के आर्बिट्रेटरज के मौजूदा पैनल से एक मध्यस्थ का विकल्प चुनेगा।

(सी) ठेकेदार और एमआरवीसी द्वारा पैरा (ए) और (बी) में चुने गए दोनों आर्बिट्रेटर पारस्परिक रूप से एमआरवीसी से आर्बिट्रेटरज के मौजूदा पैनल से मुख्य आर्बिट्रेटर या बाहर से अपनी पसंद के संभावित आर्बिट्रेटर का चयन करेंगे।

3. INR10 करोड़ से अधिक मूल्य के विवादों को कवर करने वाले आर्बिट्रेशन खंडों को शामिल करना, सावधानीपूर्वक आवेदन और कारणों की रिकॉर्डिंग और सीएमडी के अनुमोदन पर आधारित होना चाहिए।

4. एमआरवीसी को अनुबंध में उपलब्ध तंत्र का उपयोग करके यथासंभव कई विवादों से बचना चाहिए और/या सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना चाहिए। निर्णय समग्र दीर्घकालिक जनहित में व्यावहारिक तरीके से लिए जाने चाहिए, कानूनी और व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, जिम्मेदारी से बचने या दूसरे पक्ष के वास्तविक दावों से इनकार किए बिना।

5. विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए, मेडिएशन की प्रक्रिया को आपसी सहमति से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मेडिएशन प्रक्रिया, मेडिएशन अधिनियम 2023 के अनुसार होगी। यह खंड एसबीडी में जोड़ा जाएगा। यहां तक कि अगर मेडिएशन अनुबंधों में शामिल नहीं है तो दोनों पक्ष मेडिएशन अधिनियम के अनुसार मेडिएशन का विकल्प चुनने का निर्णय ले सकते हैं।

तदनुसार, एसबीडी में एक खंड जोड़ा जाएगा:

"विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए, एमआरवीसी और ठेकेदार दोनों मेडिएशन अधिनियम 2023 के अनुसार मेडिएशन प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। यहां तक कि अगर मेडिएशन अनुबंध में शामिल नहीं है तो दोनों पक्ष मेडिएशन अधिनियम के अनुसार मेडिएशन का विकल्प चुनने का निर्णय ले सकते हैं।

6. संस्थागत मेडिएशन/आर्बिट्रेशन को नहीं अपनाया जाएगा।

7.एमआरवीसी के पास मेडिएटरज/आर्बिट्रेटरज का अपना पैनल होगा।

8. मेडिएशन समिति का गठन:

(बी) ऐसे मामलों में जहां दावे का मूल्य INR 10 करोड़ से कम है, तो दावे को कम मूल्य का दावा कहा जाएगा। ऐसे मामलों में, मेडिएशन वैकल्पिक होगी। मेडिएशन की प्रक्रिया ठेकेदार और एमआरवीसी दोनों की सहमति से की जाएगी।

(सी) ऐसे मामलों में जहां दावे का मूल्य INR 10 करोड़ के बराबर या उससे अधिक है तो दावे को उच्च मूल्य का दावा कहा जाएगा। ऐसे मामलों में, मेडिएशन अनिवार्य होगी।

(डी) मेडिएशन समिति में दो सदस्य होंगे, एक सदस्य एमआरवीसी के प्रतिनिधि के रूप में और दूसरा सदस्य ठेकेदार के प्रतिनिधि के रूप में। एमआरवीसी के आर्बिट्रेटरज के मौजूदा पैनल से मेडिएटरज का चयन करेगा। तथापि, संविदाकार को एमआरवीसी के मेडिएटरज के मौजूदा पैनल या बाहर से अपनी पसंद के संभावित मेडिएटरज में से मेडिएटरज चुनने का विकल्प दिया जाएगा।

9. किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन मेडिएशन मेडिएटरज (मध्यस्थों) को नियुक्ति की सूचना देने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी

उल्लिखित मेडिएशन की अवधि को पार्टियों द्वारा सहमति के अनुसार आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन साठ दिनों से अधिक नहीं।

10. एक मेडिएटेड सेटेलमेंट एग्रीमेंट में मेडिएशन के परिणामस्वरूप कुछ या सभी पक्षों के बीच लिखित रूप में एक समझौता शामिल है, ऐसे दलों के बीच कुछ या सभी विवादों को निपटाना, और मेडिएटरज द्वारा प्रमाणित: बशर्ते कि मेडिएशन सेटेलमेंट समझौते की शर्तें मेडिएशन के लिए संदर्भित विवादों से आगे बढ़ सकती हैं.

स्पष्टीकरण: एक मेडिएटेड सेटेलमेंट एग्रीमेंट जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत शून्य है, उसे मेडिएटेड सेटेलमेंट के अर्थ के भीतर वैध निपटान समझौता नहीं माना जाएगा।

जहां सभी या कुछ विवादों के संबंध में पार्टियों के बीच एक मध्यस्थता समझौता किया जाता है, उसे लिखित रूप में कम किया जाएगा और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा.

11. मेडिएशन अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के अधीन, जहां पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, धारा 18 के तहत प्रदान की गई समय अवधि के भीतर, या जहां, मेडिएशन का विचार है कि कोई समझौता संभव नहीं है, वह एक नान-सेटेलमेंट रिपोर्ट तैयार करेगा और सभी पक्षों को एक हस्ताक्षरित प्रति प्रदान करेगा, बशर्ते कि इस धारा में निर्दिष्ट रिपोर्ट मेडिएशन के दौरान गैर-निपटान के कारण, या उनके आचरण का जिक्र करने वाले किसी अन्य मामले या चीज का खुलासा नहीं करेगी

12 पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित और मध्यस्थ द्वारा प्रमाणित मेडिएशन से उत्पन्न एक मेडिएशन सेटेलमेंट क्रमशः पार्टियों और उनके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और मेडिएशन अधिनियम के अध्याय-6 के प्रावधानों के अनुसार लागू होगा।

13. सेटेलमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से निपटाए गए दावों को संबंधित निदेशक द्वारा अंतिम निपटान/भुगतान के लिए स्वीकृत किया जाएगा।

14 मेडिएटरज के प्रत्येक सदस्य के लिए शुल्क वही होगा जो एमआरवीसी द्वारा अधिनिर्णायक के लिए निर्धारित किया गया है

15. मेडिएटर किसी भी आर्बिट्रल या न्यायिक प्रक्रिया में, जो विवाद मेडिएशन प्रक्रिया का विषय है, न तो एक आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य करेगा और न ही किसी पार्टी का प्रतिनिधि या वकील होगा।

मेडिएटर को किसी भी आर्बिट्रल या न्यायिक प्रक्रिया में गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

16. आर्बिट्रेशन /अदालती निर्णयों द्वारा कवर किए गए मामलों में, डीओई द्वारा जारी किए गए खरीद और परियोजना प्रबंधन पर सामान्य निर्देशों दिनांक 29.10.2021 में निहित मार्गदर्शन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के विरुद्ध निर्णय है, वहां चुनौती/अपील करने का निर्णय नेमी तरीके से नहीं लिया

जाना चाहिए बल्कि तभी लिया जाना चाहिए जब मामला वास्तव में चुनौती/अपील के लिए जाने योग्य हो और न्यायालय/उच्चतर न्यायालय में जीतने की संभावना अधिक हो।

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
मनोज कुमार सिन्हा	दिनेश वशिष्ठ	गुरु प्रकाश
एफए और सीएओ	सीएसटीई	जीएम (खरीद)

<u>नोट:</u> यदि एमआरवीसी की मेडिएशन और आर्बिट्रेशन नीति के हिंदी अनुवाद में कोई संदेह हो तो अंग्रेजी में जारी नीति को प्रमाणिक माना जाएगा।